

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

गजेन्द्र सिंह

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा:- प्रथम अपील सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर:- 150 सन् 2017
RCMS No. 2017/00196

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
07.11.17	<p>यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप ग्राम व पोस्ट नूनहेरा तहसील सैपक जिला धौलपुर ने जिला रसद अधिकारी धौलपुर के विरुद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.05.2015 को सूचना चाहने बाबत आवेदन किया जाना अंकित है। तथा अपील निर्धारित समयावधि (30 दिवस) व्यतीत हो जाने के उपरान्त दिनांक 06.11.2017 को पेश की है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रावधान है कि "ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 7 की उप-धारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकारी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ है:</p> <p>परन्तु ऐसा अधिकारी तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी किसी पर्याप्त कारण से उक्त अपील समय रहते फाइल नहीं कर सका था।"।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपीलान्ट ने प्रथम अपील 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की है नाही अपील बिलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित किया है। अतः अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो प्रकरण नम्बर से कम हो।</p>	

जिला कलक्टर
धौलपुर

829
10/11/17